I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Review Article

महिला सशक्तिकरण

Basanti Karodi [1*], Dr. Richa Shrivastava [2], Dr. Niti Nipuna [3]
[1,2,3] LLM, Sage University, Indore, Madhya Pradesh, India

Corresponding Author: * Basanti Karodi

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15776545

सारांश

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से सक्षम बनाना ताकि वे अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय ले सकें और समाज में समान अधिकार प्राप्त कर सकें। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को उनकी योग्यता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और आरक्षण नीति आदि। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से उनका विकास संभव हो पाया है।

हालांकि अभी भी समाज में लिंग भेदभाव, अशिक्षा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं मौजूद हैं, लेकिन निरंतर प्रयासों से बदलाव आ रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है।

निष्कर्षतः, महिला सशक्तिकरण एक ऐसी कुंजी है जो समृद्ध और समतामूलक समाज का निर्माण कर सकती है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी देश सशक्त होगा.

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 20-06-2025
- **Accepted:** 27-06-2025
- **Published:** 29-06-2025
- **IJCRM:**4(3); 2025: 535-538
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Karodi B, Shrivastava R, Nipuna N. महिला सशक्तिकरण. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(3): 535-538.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: महिला, सशक्तिकरण, अधिकार, समानता, शिक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भरता

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है – महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से सशक्त बनाना ताकि वे अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को स्वतंत्र रूप से ले सकें। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे समय तक पुरुष प्रधानता की छाया में रहीं, जहाँ उनकी भूमिका केवल घर तक सीमित समझी जाती थी। लेकिन समय के साथ-साथ महिलाओं ने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया और हर क्षेत्र में अपनी अहम उपस्थिति दर्ज कराई।

आज महिला सशक्तिकरण न केवल एक सामाजिक आवश्यकता है, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएं न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकती हैं। सरकार द्वारा चलायी जा रही

© 2025 Basanti Karodi, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विभिन्न योजनाएँ जैसे – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि इसी दिशा में प्रयास हैं।
महिला सशक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है जो समाज की सोच में परिवर्तन, शिक्षा, अवसर और समानता के अधिकारों से जुड़ी है। जब तक प्रत्येक महिला को उसके अधिकार और सम्मान नहीं मिलते, तब तक एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना अधूरी है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ:
महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें, अपने अधिकारों को पहचान सकें और समाज में समान भागीदारी निभा सकें।

सरल शब्दों में:
महिला सशक्तिकरण का मतलब है —
- महिलाओं को शक्ति देना,
- उन्हें अवसर प्रदान करना,
- और उन्हें अपने जीवन की दिशा खुद तय करने की क्षमता देना।

इसमें शामिल हैं:

1. शिक्षा का अधिकार
2. रोजगार के अवसर
3. समान वेतन और अधिकार
4. घरेलू हिंसा और भेदभाव से मुक्ति
5. राजनीतिक भागीदारी

उदाहरण: जब कोई महिला खुद निर्णय लेती है कि वह पढ़ाई करेगी, नौकरी करेगी या खुद का व्यवसाय शुरू करेगी — तो वह सशक्त मानी जाती है।

साहित्यावलोकन
भारतीय साहित्य में महिला सशक्तिकरण का विषय सदियों से विविध रूपों में प्रकट होता रहा है। आदिकालीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक युग की लेखनी तक, स्त्री जीवन की व्यथा, संघर्ष, चेतना और आत्मनिर्भरता को विभिन्न साहित्यिक विधाओं में उकेरा गया है।

1. प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य:
रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में सीता, द्रौपदी जैसी स्त्रियाँ धर्म, मर्यादा और नैतिकता की प्रतीक बनीं, किंतु उनका स्थान पुरुषों की छाया में रहा।
भक्ति आंदोलन में मीराबाई, अक्क महादेवी जैसी स्त्रियों ने अपने आत्मिक अनुभवों और विरोध के स्वर से समाज में नारी चेतना की नींव रखी।

2. आधुनिक हिंदी साहित्य में महिला सशक्तिकरण:
प्रेमचंद ने अपनी कहानियों (जैसे "गबन", "निर्मला") में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति और संघर्षों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया।
महादेवी वर्मा ने स्त्री-मन की गहराइयों और आत्मिक पीड़ा को स्वर दिया।
सुभद्राकुमारी चौहान की "झांसी की रानी" जैसी रचनाएँ नारी शक्ति और वीरता की प्रतीक बन गईं।

3. समकालीन साहित्य में स्त्री विमर्श:
कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग जैसी लेखिकाओं ने नारी जीवन की यथार्थपरक समस्याओं, यौन हिंसा, घरेलू अत्याचार और स्वतंत्रता के प्रश्नों को उठाया।
स्त्री विमर्श ने जाति, वर्ग, लैंगिकता, और पारिवारिक संरचना जैसे मुद्दों के साथ महिला सशक्तिकरण को जोड़ा।

4. कविता और नाटक में:
हिंदी कविता में कविता कृष्णन, अनामिका, और कुसुम वियोगी जैसी कवयित्रियों ने नारी अस्मिता की मुखर आवाज़ को जगह दी।
नाट्य साहित्य में भी नारी पात्रों को सक्रिय और निर्णय लेने में सक्षम दिखाया जाने लगा है

अध्ययन के उद्देश्य
निम्नलिखित हो सकते हैं:

1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करना
महिलाओं की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण कर उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता को समझना।

2. लैंगिक असमानता को समझना और समाप्त करना
समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव की जड़ को पहचान कर उसे दूर करने के उपायों की खोज करना।

3. महिला अधिकारों की जानकारी देना
महिलाओं को उनके संवैधानिक, कानूनी और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

4. महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया को समझना
शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व आदि के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना।

5. सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का विश्लेषण करना
महिलाओं के हित में चल रही सरकारी योजनाओं और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना।

6. महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास
महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक निर्णयों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।

7. सकारात्मक सोच और मानसिक बदलाव को बढ़ावा देना
समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु सकारात्मक विचारधारा का प्रसार करना।

© 2025 Basanti Karodi, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

शोध परिकल्पना (Research Hypothesis):

1. मुख्य परिकल्पना (Main Hypothesis):

"यदि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक अवसर, तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए जाएँ, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होता है तथा वे समाज में समान भागीदारी निभा सकती हैं।"

2. सहायक परिकल्पनाएँ (Sub-Hypotheses):

शिक्षित महिलाएँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होती हैं।
आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएँ अपने परिवार और समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करती हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा शहरी महिलाओं में सशक्तिकरण का स्तर अधिक होता है।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Women) एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो महिला सशक्तिकरण और समाज की समृद्धि में बाधा उत्पन्न करती है। ये अपराध विभिन्न रूपों में सामने आते हैं, और इनका प्रभाव न केवल पीड़ित महिला पर, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है।

प्रमुख प्रकार के अपराध महिलाओं के विरुद्ध:

1. घरेलू हिंसा (Domestic Violence)

पति या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक प्रताड़ना।

2. दहेज से संबंधित अपराध (Dowry-related Crimes)

दहेज की मांग को लेकर हत्या, आत्महत्या या शोषण।

3. बलात्कार (Rape)

महिला की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना। यह सबसे घातक और संवेदनशील अपराधों में से एक है।

4. यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment)

कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से अशोभनीय व्यवहार।

5. मानव तस्करी (Human Trafficking)

महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति या बंधुआ मजदूरी के लिए बेचना या ले जाना।

6. एसिड अटैक (Acid Attack)

बदले की भावना से महिला पर तेजाब फेंकना, जिससे उसका जीवन और आत्मसम्मान दोनों प्रभावित होते हैं।

7. बाल विवाह (Child Marriage)

कम उम्र में लड़कियों की जबरन शादी, जिससे उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वतंत्रता बाधित होती है।

8. साइबर अपराध (Cyber Crime Against Women)

महिलाओं की तस्वीरों या वीडियो का दुरुपयोग, ट्रोलिंग, ब्लैकमेलिंग आदि।
भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रावधान-
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने, उन्हें न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए नए कानून में विशेष ध्यान दिया गया है।

1. बलात्कार (धारा 63 - 70)

महिला की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना बलात्कार माना गया है।
12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) के लिए भी कठोर दंड।

2. यौन उत्पीड़न और अश्लीलता (धारा 74 - 78)

महिला को छेड़ना, अनुचित टिप्पणी करना, उसका पीछा करना या गलत इशारे करना अपराध है।
सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की गरिमा भंग करना दंडनीय अपराध है।

3. दहेज मृत्यु और घरेलू हिंसा (धारा 85 - 86)

दहेज के कारण यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक सजा दी जा सकती है।
पति या ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता भी दंडनीय है।

4. महिला की पहचान की गोपनीयता

किसी पीड़िता का नाम, पता, फोटो आदि सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है।

5. मानव तस्करी (धारा 138)

महिलाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति या श्रम शोषण हेतु ले जाना दंडनीय अपराध है।
ऐसे अपराधों में दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा।

6. कानूनी प्रक्रिया में सुधार

महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान लेना अनिवार्य।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की व्यवस्था।
पीड़िता को सरकारी सहायता व मुआवजा योजना का लाभ।
रिपोर्ट दर्ज करने में देरी या मना करने पर पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई।

महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार और विशेष सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के उद्देश्य से संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:

भाग 3 – मूल अधिकार (Fundamental Rights)

1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार

सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार।

2. अनुच्छेद 15 – भेदभाव निषेध

राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

© 2025 Basanti Karodi, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अनुच्छेद 15(3): राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है।

3. अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
राज्य के अधीन किसी भी पद या नियुक्ति में सभी को समान अवसर।

भाग 4 – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSPs)
1. अनुच्छेद 39(a): पुरुष और महिला दोनों को आजीविका के समान साधन प्राप्त करने का अधिकार।
2. अनुच्छेद 39(d): समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन।
3. अनुच्छेद 42: मातृत्व राहत और कार्य की उचित व मानवीय स्थितियों की व्यवस्था।

अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान
1. अनुच्छेद 51A(e) – नागरिकों का मूल कर्तव्य:
महिलाओं के प्रति गरिमा का भाव रखना और उनके सम्मान की रक्षा करना।
2. अनुच्छेद 243D और 243T – पंचायती राज और नगर निकायों में आरक्षण: महिलाओं को 33% आरक्षण (कई राज्यों में 50%) ।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णय:
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)
निर्णय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश (Visakha Guidelines) जारी किए गए।
महत्व: इसने भारत में यौन उत्पीड़न के खिलाफ क़ानूनी ढांचा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया

2. शाह बानो मामला (Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, 1985)
निर्णय: तलाक़शुदा मुस्लिम महिला को गुज़ारा भत्ता (maintenance) देने का निर्णय।
महत्व: यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में क्रांतिकारी कदम था।

3. लिली थॉमस बनाम भारत सरकार (2013)
निर्णय: जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराए जाने पर तुरंत अयोग्य करार देना।
महत्व: महिला जनप्रतिनिधियों सहित सभी के लिए नैतिक और कानूनी जवाबदेही।

4. सबरीमाला मामला (2018)
निर्णय: महिलाओं (10-50 वर्ष आयु वर्ग) को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति।
महत्व: यह महिलाओं के धार्मिक अधिकारों की जीत थी।

5. त्रिपल तलाक़ (Shayara Bano Case, 2017)
निर्णय: एक झटके में दिया गया तीन तलाक़ असंवैधानिक घोषित किया गया।
महत्व: मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती मिली।

उच्च न्यायालय (High Court) के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय:
1. दिल्ली उच्च न्यायालय – सख्त बलात्कार विरोधी रुख (Nirbhaya Case Trial)
निर्णय: बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई और मृत्युदंड की सिफारिश।
महत्व: महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

2. बॉम्बे उच्च न्यायालय – POCSO Act पर निर्णय (2021)
निर्णय: बिना "त्वचा से त्वचा" संपर्क के भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा।
महत्व: बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा विस्तृत की गई।

3. मद्रास उच्च न्यायालय – घरेलू कामगार महिला की सुरक्षा (2020)
निर्णय: कामकाजी घरेलू महिलाओं को भी सम्मान और सुरक्षा का अधिकार।
महत्व: असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के अधिकारों की मान्यता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Jain M. Mahila Sashaktikaran. Jaipur: Rajkamal Publications; 2018.
2. Sharma S. Mahilaon ka Vikas evam Sashaktikaran. Jaipur: Rajkamal Publications; 2018.
3. Bhavani M. Women and Development. New Delhi: Oxford University Press; 2015.
4. Chaturvedi V. Bharat Mein Mahila Sashaktikaran. Ahmedabad: 2019.
5. Sharma R. Mahila Adhikar aur Nyayik Vyavastha. 2021.
6. Mishra S. Mahilaon ke Pramukh Andolan.2020

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Authors

Basanti Karodi holds a Master of Laws (LLM) degree from Sage University, Indore, Madhya Pradesh. She is passionate about legal research and committed to contributing to the field of law through academic and practical insights.

© 2025 Basanti Karodi, Dr. Richa Shrivastava, Dr. Niti Nipuna. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/